

उत्तराखण्ड शासन  
श्रम एवं सवायोजन विभाग  
संख्या 63 / VIII / 16-04(विविध) / 2015.टी.सी.  
देहरादून, 19 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (सं. 63, 1948) के धारा 6 तथा 112 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश कारखाना नियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में निम्न नियमों में संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संक्षिप्त शीर्षक

उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016

- नियम 3 में संशोधन
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 है।  
(2) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
  2. उत्तराखण्ड कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के वर्तमान नियम-3 जो नीचे स्तम्भ -1 में उल्लिखित है, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्

स्तम्भ-1  
वर्तमान नियम

3.(1) कोई स्थल, भवन या उसका एक हिस्सा तब तक कारखाना या कारखाने का हिस्सा न तो बनाया जा सकेगा और न ही उसमें कोई बदलाव व विस्तार किया जा सकेगा, जब तक कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक कारखाना से पूर्वानुमति लिखित में प्राप्त कर ली गयी हो। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के निरीक्षक के माध्यम से प्रपत्र सं. 1 पर प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साथ निम्न अभिलेख संलग्न होंगे:-

(क) विनिर्माण प्रक्रिया को दर्शाने वाले प्रक्रिया मानचित्र, जिसमें सुरक्षा, प्लाट की ऊंचाई, फिटिंग व तकनीकी इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं और उनको रेखांकित किये जाने, उपस्थिति तथा अन्य सहायक प्रक्रियाओं तथा विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन हो तथा जो कच्चे माल का नाम उसमें शामिल किये जाने वाले अन्य पदार्थ, अवयव तथा उससे किये जाने वाले निर्माण आदि के विषय में हो, तथा रासायनिक पदार्थ की स्थिति में उनका रासायनिक नाम दर्शाये गये हों।

(ख) मानचित्र तीन प्रतियों में निम्न को दर्शाते हुए बनाया जायेगा

स्तम्भ-2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

3.(1) किसी कारखाने और ऐसे स्थल को भवन के स्थल के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा या किसी कारखाने का सन्निर्माण, विस्तार या उसका प्रयोग किसी कारखाने या उसके किसी भाग के लिए तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक से उसकी पूर्वानुमति लिखित रूप में प्राप्त न कर ली गयी हो। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के निरीक्षक के माध्यम से प्रपत्र सं. 1 पर प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साथ निम्न अभिलेख संलग्न होंगे:-

(क) विनिर्माण प्रक्रिया को दर्शाने वाले प्रक्रिया मानचित्र, जिसमें सुरक्षा, प्लाट की ऊंचाई, फिटिंग व तकनीकी इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं और उनको रेखांकित किये जाने उपस्थिति तथा अन्य सहायक प्रक्रियाओं तथा विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन हो तथा जो कच्चे माल का नाम उसमें शामिल किये जाने वाले अन्य पदार्थ, अवयव तथा उससे किये जाने वाले निर्माण आदि के विषय में हो, तथा रासायनिक पदार्थ की स्थिति में उनका रासायनिक नाम दर्शाये गये हों।

(ख) मानचित्र तीन प्रतियों में निम्न को दर्शाते हुए बनाया जायेगा

(एक) कारखाने का स्थल उसकी चाहरदीवार जिसमें बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूली संस्था पेट्रोल पम्प, ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री के भण्डारण और अन्य विनिर्माण, रोड, पानी, खेत, नालियों आदि की स्थिति तथा समीपस्थ रिहायशी क्षेत्र, गांव नगर तथा इसकी कारखाना स्थल से दूरी आदि शामिल हों।

(दो) कारखाने भवन में, योजना, विस्तार और आवश्यकीय क्रास सेक्शन में विद्युत हवा और आग लगने की स्थिति में, बचाव संबंधी सभी समुचित संकेतों का होना आवश्यक है। योजना में इस बात के भी स्पष्ट संकेत हो कि प्लान्ट की मशीनों तथा आवागमन के मार्ग आदि दर्शाये गये हों।

(ग) प्रपत्र-1 के साथ प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी संलग्न होने चाहिए।

(घ) कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया जो भी हो का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ङ.) राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति और

(च) ऐसी अन्य विशेष विशिष्टताएं जो मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा चाही गयी हों।

(2) यदि मुख्य निरीक्षक आश्वस्त हो कि योजनाएं अधिनियम की मांग के अनुरूप हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि अधिनियम में वर्गीकृत है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करेगा और प्रत्येक योजना की एक प्रति आवेदक को वापस करेगा या फिर आवेदक को उसे यथा मांग ऐसी स्वीकृति अन्य विशिष्टता के लिए उसे स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(3) कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया किसी कारखाने या उसके एक हिस्से में तब तक

(एक) कारखाने का स्थल उसकी चाहरदीवार जिसमें बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूली संस्था पेट्रोल पम्प, ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री के भण्डारण और अन्य विनिर्माण, रोड, पानी, खेत, नालियों आदि की स्थिति तथा समीपस्थ रिहायशी क्षेत्र, गांव नगर तथा इसकी कारखाना स्थल से दूरी आदि शामिल हों।

(दो) कारखाने भवन में, योजना, विस्तार और आवश्यकीय क्रास सेक्शन में विद्युत हवा और आग लगने की स्थिति में, बचाव संबंधी सभी समुचित संकेतों का होना आवश्यक है। योजना में इस बात के भी स्पष्ट संकेत हो कि प्लान्ट की मशीनों तथा आवागमन के मार्ग आदि दर्शाये गये हों।

(ग) प्रपत्र-1 के साथ प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी संलग्न होने चाहिए।

(घ) कारखाना स्थापित करने हेतु नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया जो भी हो का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ङ.) राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति और

(च) ऐसी अन्य विशेष विशिष्टताएं जो मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा चाही गयी हों।

(छ) स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति पत्र।

(ज) पेट्रोलियम नियमावली, 1976 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो पेट्रोलियम के संग्रहण हेतु पेट्रोलियम नियमावली, 1976 में परिभाषित हो, के अनुसार हो।

(2) यदि मुख्य निरीक्षक आश्वस्त हो कि योजनाएं अधिनियम की मांग के अनुरूप हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि अधिनियम में वर्गीकृत है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करेगा और प्रत्येक योजना की एक प्रति आवेदक को वापस करेगा या फिर आवेदक को उसे यथा मांग ऐसी स्वीकृति अन्य विशिष्टता के लिए उसे स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(3) कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया किसी कारखाने या उसके एक हिस्से में तब तक



प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक मुख्य निरीक्षक को निरीक्षक के माध्यम से, जो उस क्षेत्र भवन या उसके हिस्से के स्थायित्व का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रपत्र-2 हस्ताक्षरित हो, जो उप नियम 4 में दी गयी योग्यता धारण करता हो, द्वारा नहीं दे दिया जाता है। कारखाने को कोई भी विस्तारित हिस्सा, कारखाने के विस्तारीकरण के बाद, किसी समय, कारखाने के हिस्से के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही योजना, मशीनरी किसी फैक्ट्री में जोड़ी जायेगी और नहीं किसी समय प्रयोग में लायी जायेगी, जब तक कि ऐसे विस्तार या योजना को मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षक के माध्यम से उस कारखाने या उसके क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकार किया जायेगा।

(4) प्रपत्र-2 को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति की योग्यता और अनुभव वैसे होंगे जैसा कि नियम 2-A के अनुलग्नक में इस उद्देश्य से वर्णित किया गया है।

(5) कोई व्यक्ति सिवाय यदि भवन सरकार द्वारा अधिग्रहीत हो, को स्थायित्व का प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जो भवन मालिक या भवन स्वामी के नियुक्ति में हो, जिसके संदर्भ में प्रमाण पत्र दिया गया हो।

प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक मुख्य निरीक्षक को निरीक्षक के माध्यम से, जो उस क्षेत्र भवन या उसके हिस्से के स्थायित्व का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रपत्र-2 हस्ताक्षरित हो, जो उप नियम 4 में दी गयी योग्यता धारण करता हो, द्वारा नहीं दे दिया जाता है। कारखाने को कोई भी विस्तारित हिस्सा, कारखाने के विस्तारीकरण के बाद, किसी समय, कारखाने के हिस्से के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही योजना, मशीनरी किसी फैक्ट्री में जोड़ी जायेगी और नहीं किसी समय प्रयोग में लायी जायेगी, जब तक कि ऐसे विस्तार या योजना को मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षक के माध्यम से उस कारखाने या उसके क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकार किया जायेगा।

(4) प्रपत्र-2 को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति की योग्यता और अनुभव वैसे होंगे जैसा कि नियम 2-A के अनुलग्नक में इस उद्देश्य से वर्णित किया गया है।

(5) कोई व्यक्ति सिवाय यदि भवन सरकार द्वारा अधिग्रहीत हो, को स्थायित्व का प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जो भवन मालिक या भवन स्वामी के नियुक्ति में हो, जिसके संदर्भ में प्रमाण पत्र दिया गया हो।

### नियम 9 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

#### स्तम्भ -1

##### वर्तमान नियम

नियम 9 (1) सिवाय ऐसी दशा में तब कि यह नियम 13 के उप नियम (3) द्वारा आच्छादित हो, कारखाने के अनुज्ञापत्र को निरीक्षक द्वारा 05 (पाँच वर्षों) के लिए खतरनाक प्रक्रिया वाले तथा उ.प्र. कारखाना (औद्योगिक मुख्य दुर्घटना हैजार्डस नियन्त्रण) नियमावली 1996 के अन्तर्गत हों के सिवाय अति खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों को नवीनीकृत किया जायेगा। अति खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों का नवीनीकरण प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार नियम -7 के

#### स्तम्भ-2

##### एतद् द्वारा प्रतिपादित नियम

नियम 9 (1) सिवाय ऐसी दशा में तब कि यह नियम 13 के उप नियम (3) द्वारा आच्छादित हो, कारखाने के अनुज्ञापत्र को निरीक्षक द्वारा 10 (दस वर्षों) के लिए खतरनाक प्रक्रिया वाले तथा उ.प्र. कारखाना (औद्योगिक मुख्य दुर्घटना हैजार्डस नियन्त्रण) नियमावली 1996 के अन्तर्गत हों के सिवाय कारखानों को नवीनीकृत किया जायेगा। अति खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों का नवीनीकरण प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार नियम -7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित



अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित फीस फीस भुगतान करने पर किया जायेगा।  
भुगतान करने पर किया जायेगा।

परन्तु यदि उपनियम (2) में निर्धारित समय के अन्तर्गत नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होता है तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति हेतु देय सामान्य शुल्क के 25 अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश से अनुज्ञप्ति के प्रार्थना प्रस्तुत करने के समय को बढ़ा सकती है।


(2) अनुज्ञप्ति पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना पत्र प्रपत्र 4-B में 03 प्रतियों में 31.10.2016 से पूर्व संबंधित कार्यालय में भेजा जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र इस प्रकार कर दिया जाता है तो कारखाना परिसर को उस तिथि तक अनुज्ञापित माना जायेगा, जिस तिथि को अनुज्ञप्ति पत्र को नवीनीकरण किया जाता है।

(2) अनुज्ञप्ति पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना पत्र प्रपत्र 4-B में 03 प्रतियों में 31.10.2016 से पूर्व संबंधित कार्यालय में भेजा जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र इस प्रकार कर दिया जाता है तो कारखाना परिसर को उस तिथि तक अनुज्ञापित माना जायेगा, जिस तिथि को अनुज्ञप्ति पत्र को नवीनीकरण किया जाता है।

कारखाने में स्थापित अधिकतम शक्ति(हार्स पावर में)	कैलेंडर वर्ष में किसी एक दिन में अधिकतम नियुक्त कर्मचारों की संख्या						
	50 तक	51से150 तक	151से 250 तक	251से 500 तक	501से 1000 तक	1001से 2500 तक	2500से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
शून्य	500	1500	2000	3500	7000	20,000	25,000
50 तक	1200	3500	5500	7500	12,000	30,000	35,000
50 से अधिक लेकिन 100से कम	2500	5500	7500	11,500	20,000	40,000	45,000
100 से अधिक 500 से कम	5000	11,000	14,500	19,500	29,000	50,000	55,000
500 से अधिक 1000 से कम	10,000	15,000	19,000	25,000	36,000	60,000	65,000
1000 से अधिक 2000 से कम	12,000	20,000	23,000	30,000	38,000	65,000	70,000
2000 से अधिक 5000 से कम	14,000	25,000	30,000	35,000	48,000	70,000	75,000
5000 अधिक	16,000	27,000	32,000	37,000	50,000	75,000	80,000


कारखाने में स्थापित अधिकतम शक्ति(हार्स पावर में)	कैलेंडर वर्ष में किसी एक दिन में अधिकतम नियुक्त कर्मचारों की संख्या						
	50 तक	51से150 तक	151से 250 तक	251से 500 तक	501से 1000 तक	1001से 2500 तक	2500से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
शून्य	500	1500	2000	3500	7000	20,000	25,000

50 तक	1200	3500	5500	7500	12,000	30,000	35,000
50 से अधिक लेकिन 100 से कम	2500	5500	7500	11,500	20,000	40,000	45,000
100 से अधिक 500 से कम	5000	11,000	14,500	19,500	29,000	50,000	55,000
500 से अधिक 1000 से कम	10,000	15,000	19,000	25,000	36,000	60,000	65,000
1000 से अधिक 2000 से कम	12,000	20,000	23,000	30,000	38,000	65,000	70,000
2000 से अधिक 5000 से कम	14,000	25,000	30,000	35,000	48,000	70,000	75,000
5000 अधिक	16,000	27,000	32,000	37,000	50,000	75,000	80,000

  
(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या:- (1)/ VIII/ 16-04 (विविध) / 2015. टी.सी. तददिनांकित।  
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अपर / उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियाँ शासन को तथा 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(विजय कुमार)  
अनु सचिव।



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /VIII/16-04(VIVIDH)/2015T. C., Dehradun, Dated: , 2016 for general information.

**Uttarakhand Government**  
**Section of Labour & Employment**  
**No. 631 /VIII/16-04(VIVIDH) /2015 T.C.**  
**Dehradun, Dated: 19.05, 2016**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by the section 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the Governor is pleased to make the following Rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Factory Rules, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand:-

**The Uttarakhand Factories (Amendment) Rules, 2016.**

**Short title and Commencement**

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Factories(Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall come into force at once.

**Amendment of Rule 3**

2. In rule 3 of the Uttarakhand Factories Rules, 1950 (as applicable to the state of Uttarakhand) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted ; namely:-

**Column-1**  
**Existing Rule**

3. (1) No site shall be used for the location of a factory and no building on such site or in a factory shall be constructed, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous permission in writing is obtained from the State Government or the Chief Inspector. Application for such permission shall be made to the Chief Inspector through the Inspector of the region concerned in the prescribed Form No.1 which shall be accompanied by the following documents:

(a) The process flow diagram of manufacturing process indicating safety devices, fittings and mountings on each plant and machinery, the

**Column-2**  
**Rule is hereby substituted**

3. (1) No site shall be used for the location of a factory and no building on such site or in a factory shall be constructed, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous permission in writing is obtained from the State Government or the Chief Inspector. Application for such permission shall be made to the Chief Inspector through the Inspector of the region concerned in the prescribed Form No.1 which shall be accompanied by the following documents:

(a) The process flow diagram of manufacturing process indicating safety devices, fittings and mountings on each plant and machinery, the various



various processes and their design conditions, supplemented by a brief description of the process and safety devices in its various stages and also indicating the names of raw materials, intermediates and products with their inventories. In case of chemical substances, their chemical names should be mentioned;

processes and their design conditions, supplemented by a brief description of the process and safety devices in its various stages and also indicating the names of raw materials, intermediates and products with their inventories. In case of chemical substances, their chemical names should be mentioned;

(b) Plans in triplicate drawn to scale showing-

(b) Plans in triplicate drawn to scale showing-

(i) the site of the factory and immediate surroundings including adjacent buildings, hospitals, educational institutions, petrol pumps, storages of inflammable and explosive materials and other structures, roads, water sources, drains etc. and location of any nearest residential area, village, town, settlement with its distance from the site; and

(i) the site of the factory and immediate surroundings including adjacent buildings, hospitals, educational institutions, petrol pumps, storages of inflammable and explosive materials and other structures, roads, water sources, drains etc. and location of any nearest residential area, village, town, settlement with its distance from the site; and

(ii) the plan, elevation and necessary cross sections of the various buildings indicating all relevant details relating to all natural lighting, ventilation and means of escape in case of fire. The plans shall also clearly indicate the position of the plant and machines aisles and passage ways;

(ii) the plan, elevation and necessary cross sections of the various buildings indicating all relevant details relating to all natural lighting, ventilation and means of escape in case of fire. The plans shall also clearly indicate the position of the plant and machines aisles and passage ways;

(c) replies, to the questionnaire annexed to Form No.1;

(c) replies, to the questionnaire annexed to Form No.1;

(d) a letter of no objection for the location of the factory from Nagar Mahapalika, Nagar Palika, Town Area or Notified Area, as the case may be;

(d) a letter of no objection for the location of the factory from Nagar Mahapalika, Nagar Palika, Town Area or Notified Area, as the case may be;

(e) a letter of no objection from State Pollution Control Board; and

(e) a letter of no objection from State Pollution Control Board; and

(f) such other particulars, details and specifications as the Chief Inspector may require;

(f) such other particulars, details and specifications as the Chief Inspector may require;

(g) a letter of no objection from local Fire Office;

(h) licence/NOC issued under the Petroleum Rules, 1976 for storage of Petroleum as defined in the Petroleum Rules, 1976.

(2) If the Chief Inspector is satisfied that the plans are in consonance with requirements of the Act he shall, subject to such conditions as he may specify, approve them by signing and returning to the applicant one copy of each plan or he may call for such other particulars as he may require so as to enable him to accord such approval.

(2) If the Chief Inspector is satisfied that the plans are in consonance with requirements of the Act he shall, subject to such conditions as he may specify, approve them by signing and returning to the applicant one copy of each plan or he may call for such other particulars as he may require so as to enable him to accord such approval.



(3) No manufacturing process shall begin or carried on in any building, or part of a building until a certificate of stability of the building, or part of building in Form No. 2 signed by a person possessing the qualifications prescribed in sub-rule (4) has been delivered to the Chief Inspector through the Inspector of Factories of the region concerned and accepted by him. No extended portion of any factory shall be used as a part of the factory any time after the extension nor any plant or machinery shall be added in any factory, nor brought into use any time after such addition until a certificate in respect of such extension or plan has been delivered to the Chief Inspector through the Inspector of Factories of the region concerned and accepted by the Chief Inspector of Factories.

(4) The person signing the Form No. 2 shall possess the same qualifications and experience as prescribed in the Schedule to Rule 2-A for this purpose.

(5) No person except in the case of a building occupied by any Government shall be authorized to sign a certificate of stability, who is in the employment of the owner or builder of the building in respect of which the certificate is given.

(3) No manufacturing process shall begin or carried on in any building, or part of a building until a certificate of stability of the building, or part of building in Form No. 2 signed by a person possessing the qualifications prescribed in sub-rule (4) has been delivered to the Chief Inspector through the Inspector of Factories of the region concerned and accepted by him. No extended portion of any factory shall be used as a part of the factory any time after the extension nor any plant or machinery shall be added in any factory, nor brought into use any time after such addition until a certificate in respect of such extension or plan has been delivered to the Chief Inspector through the Inspector of Factories of the region concerned and accepted by the Chief Inspector of Factories.

(4) The person signing the Form No. 2 shall possess the same qualifications and experience as prescribed in the Schedule to Rule 2-A for this purpose.

(5) No person except in the case of a building occupied by any Government shall be authorized to sign a certificate of stability, who is in the employment of the owner or builder of the building in respect of which the certificate is given.

Amendment of Rule 9 in the Principal Rule as set out in column 1 below, the Rule set out in column 2 shall be substituted namely as follows -

#### **Column-1 Existing Rule**

**Amendment in Rule 9.** (1) Except in cases covered by sub-rule (3) of Rule 13, the licence of a factory may be renewed by the Inspector for five calendar years at a time, except the factories carrying on hazardous processes or covered under the U.P. Factories(Control of Industrial Major Accident Hazards), Rules, 1996 which may be renewed for every calendar year at a time, on payment of requisite fee specified in the Schedule under Rule7.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule(2) the licence shall be renewed only on payment of a fee twenty-five per cent in excess of the fee ordinarily payable for the renewal of the licence: Provided further that the State Government may by general or special order extend the time for presentation of application for renewal of a licence.

#### **Column-2 Substituted Rule**

9. (1) Except in cases covered by sub-rule (3) of Rule 13, the licence of a factory may be renewed by the Inspector for Ten calendar years at a time, except the factories carrying on hazardous processes or covered under the U.P. Factories(Control of Industrial Major Accident Hazards), Rules, 1996 which may be renewed for every calendar year at a time, on payment of requisite fee specified in the Schedule under Rule7.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule(2) the licence shall be renewed only on payment of a fifty per cent in excess of the fee ordinarily payable for the renewal of the licence:

Provided further that the State Government may by general or special order extend the time for presentation of application for renewal of a licence.




(2) Every application for the renewal of licence shall be sent in Form 4-B in triplicate so as to reach the office of the Inspector on or before thirty first day of October and if the application is so made, the premises shall be held to the duly licenced until such date as the Inspector renews the licence.

(2) Every application for the renewal of licence shall be sent in Form 4-B in triplicate so as to reach the office of the concerned officer on or before thirty first day of October and if the application is so made, the premises shall be held to the duly licenced until such date as the Inspector renews the licence.

Quantity of H.P. installed(maximum H.P.)	Maximum number of persons to be employed on any day during the calendar year						
	Up to 50	From 51 to 150	From 151 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 2500	Above 2500
1	2	3	4	5	6	7	8
Nil	500	1500	2000	3500	7000	20,000	25,000
Up to 50	1200	3500	5500	7500	12,000	30,000	35,000
Above 50 but not above 100	2500	5500	7500	11,500	20,000	40,000	45,000
Above 100 but not above 500	5000	11,000	14,500	19,500	29,000	50,000	55,000
Above 500 but not above 1000	10,000	15,000	19,000	25,000	36,000	60,000	65,000
Above 1000 but not above 2000	12,000	20,000	23,000	30,000	38,000	65,000	70,000
Above 2000 but not above 5000	14,000	25,000	30,000	35,000	48,000	70,000	75,000
Above 5000	16,000	27,000	32,000	37,000	50,000	75,000	80,000

Quantity of H.P. installed(maximum H.P.)	Maximum number of persons to be employed on any day during the calendar year						
	Up to 50	From 51 to 150	From 151 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 2500	Above 2500
1	2	3	4	5	6	7	8
Nil	500	1500	2000	3500	7000	20,000	25,000
Up to 50	1200	3500	5500	7500	12,000	30,000	35,000
Above 50 but not above 100	2500	5500	7500	11,500	20,000	40,000	45,000
Above 100 but not above 500	5000	11,000	14,500	19,500	29,000	50,000	55,000
Above 500 but not above 1000	10,000	15,000	19,000	25,000	36,000	60,000	65,000
Above 1000 but not above 2000	12,000	20,000	23,000	30,000	38,000	65,000	70,000
Above 2000 but not above 5000	14,000	25,000	30,000	35,000	48,000	70,000	75,000
Above 5000	16,000	27,000	32,000	37,000	50,000	75,000	80,000

  
(Manisha Panwar)  
Principal Secretary